फर्द अहकाम
(नियम-26)
अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

भैरूलाल पिता स्व. गणेशलाल लौहार निवासी मातृकुण्डिया, तह. राशमी वगैरा
बनाम
श्रीमति कमला देवी पत्नि शम्भूलाल लौहार निवासी मातृकुण्डिया रोड़ ग्राम हरनाथपुरा, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 30/2018 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 09.02.2024 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं पेशी दिनांक 12.06.2024 व 24.07.2024 को अधिवक्ता निगराकार उपस्थित थे तथा पेशी दिनांक 09.02.2024 पर गैर निगराकार के अधिवक्ता उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 09.02.2024 से लगातार अनुपस्थित चल चल रहे हैं। पेशी दिनांक 03.07.24 पर उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में उन्हें अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज की कार्यवाही की जावेगी उसके बावजूद भी उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	